

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिजीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 540]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2010—आश्विन 13, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-3-ए-68-2004-1-पांच (83).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52, सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-68-2004-1-पांच-(21), दिनांक 4 अप्रैल 2005 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, उपाबंध-दो में .—

- (एक) पैरा 5, 10, 11 और 12 में, शब्द “रूपये तीन करोड़” जहां कहीं वे आए हों, के स्थान पर, शब्द “रूपये दस करोड़” स्थापित किए जाएं;
- (दो) पैरा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“6. मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) के उपबंधों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा गठित की गई शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति, राज्य स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति और जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति, व्यापारियों द्वारा, उनकी अपनी-अपनी वित्तीय सीमा के अनुसार इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर के संदाय से छूट के लिए, किए गए आवेदन पर विचार करेगी.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-ए-3-68-2004-1-पांच (83).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-ए-68-2004-1-पांच (83), दिनांक 4 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 4th October 2010

F. No. 3-A-68-2004-1-V(83).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's notification No. A-3-68-2004-1-V (21), dated 4th April 2005, namely :—

AMENDMENTS

In the said notification, in Annexure-II:—

- (i) in para 5, 10, 11 and 12, for the words "rupees three crores" wherever they occur, the words "rupees ten crores" shall be substituted;
- (ii) for para 6, the following para shall be substituted, namely :—

"6. Apex Investment Promotion Empowered Committee, State Level Investment Promotion Empowered Committee and District Level Investment Promotion Empowered Committee constituted by the State Government in pursuance of the provisions of the Madhya Pradesh Investment Facilitation Act, 2008 (No. 21 of 2008) shall consider the application made by dealers for exemption from payment of entry tax under this notification according to their respective financial limit."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.